फा. सं. 11011/3/2013-हिंदी
भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
......

केंद्रीय सचिवालय ग्रंथागार, द्वितीय तल,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 7 मई, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय: संस्कृति विषयक मौलिक हिंदी पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना ।

संस्कृति मंत्रालय द्वारा हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के अंतर्गत 01.01.2013 से 31.12.2013 यानी कैलेंडर वर्ष 2013 और 01.01.2014 से 31.12.2014 यानी कैलेंडर वर्ष 2014 के दौरान भारतीय संस्कृति, उसकी प्राचीन धरोहर, धर्म, दर्शन, कला आदि किसी एक विषय पर प्रकाशित पुस्तकें आमंत्रित हैं।

1. संस्कृति विषयक मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना
   पात्रता/शर्तें:

   1. पुस्तक के लेखक केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों/वित्तीय संस्थानों तथा केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन स्वायत्त संस्थाओं/केंद्रीय विश्वविद्यालयों/प्रशिक्षण संस्थानों के सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी हों।
   2. लेखक अपनी प्रविष्टि अपने विभाग/पूर्व विभाग के अध्यक्ष द्वारा सत्यापन तथा संस्तुति के साथ इस विभाग को भेजें।

   पुरस्कार:

प्रथम पुरस्कार	- 60,000/- रूपए, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
द्वितीय पुरस्कार	- 45,000/- रूपए, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
तृतीय पुरस्कार	- 30,000/- रूपए, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
प्रोत्साहन पुरस्कार (चार)	- 10,000/- रूपए, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न (प्रत्येक पुरस्कार विजेता को)

2. उपर्युक्त योजना के लिए सामान्य शर्तें:

   1. पुस्तक के एक से अधिक लेखक होने की स्थिति में प्रत्येक सह-लेखक द्वारा अलग-अलग प्रोफार्मा भरा जाए।
   2. योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए वे पुस्तकें ही स्वीकार्य हैं जो लेखक की हिंदी में मौलिक रचना हो। अनूदित पुस्तक स्वीकार्य नहीं है।

कृ.पृ.उ.

3. किसी भी सरकारी संगठन द्वारा पूर्व में पुरस्कृत पुस्तकें पात्र नहीं होंगी। ऊपर विषयक योजना के अंतर्गत पुरस्कार की घोषणा से पहले यदि पुस्तक को अन्य किसी पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया जाता है तो इसकी सूचना लेखक द्वारा तत्काल संस्कृति मंत्रालय को दी जाए।
4. योजना के लिए 01.01.2013 से 31.12.2013 तथा 01.01.2014 से 31.12.2014 के दौरान संस्कृति विषयक प्रकाशित पुस्तक ही स्वीकार्य हैं।
5. पुस्तक से संबंधित विषय सामग्री विश्लेषणात्मक होनी चाहिए। पी.एच.डी. के लिए लिखे गए शोध, कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि के रूप में लिखी गई या पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी गई पुस्तक पात्र नहीं होगी।
6. लेखक पुस्तक में दिए गए आंकड़ों एवं तथ्यों के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे और उनके प्रमाण में जहां तक संभव हो, संदर्भ देंगे।
7. यदि किसी व्यक्ति को योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में कोई पुरस्कार मिल चुका हो तो उसकी प्रविष्टि विचारणीय नहीं होगी। तथापि, सहलेखक (यदि कोई हो) योजना में भाग ले सकता है।
8. पुस्तक कम से कम 100 पृष्ठों की हो।
9. यदि मूल्यांकन समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रविष्टि पुस्तकों में से कोई भी पुस्तक किसी भी पुरस्कार के योग्य नहीं है तो इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा।
10. यदि पुरस्कार के लिए चुनी गई पुस्तक के लेखक एक से अधिक होंगे, तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर-बराबर बांट दी जाएगी।

3. प्रविष्टि भेजने की विधि:

1. प्रविष्टियां अनुलग्नक में दिए गए प्रपत्र के साथ भेजी जाए अन्यथा उन्हें स्वीकार करना संभव नहीं होगा।
2. कृपया प्रत्येक प्रविष्टि के साथ पुस्तक की तीन प्रतियां भेजें। पुस्तकें वापिस नहीं की जा सकेंगी।
3. कैलेंडर वर्ष 2013 तथा 2014 के संबंध में सभी प्रविष्टियां 30 जून, 2015 तक संस्कृति मंत्रालय में पहुंच जानी चाहिए। निर्धारित तारीख के बाद प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. पुस्तकों की मूल्यांकन प्रक्रिया :

पुस्तकों का मूल्यांकन संस्कृति मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर लब्ध-प्रतिष्ठित विद्वानों/विशेषज्ञों की समिति द्वारा किया जाएगा।

5. पुरस्कार के बारे में घोषणा और पुरस्कार वितरण:

1. पुरस्कार के बारे में निर्णय की सूचना सभी पुरस्कार विजेताओं को पत्र द्वारा भेजी जाएगी तथा मंत्रालय की वेबसाइट पर भी रखी जाएगी।
2. पुरस्कार वितरण संस्कृति मंत्रालय द्वारा निर्धारित तारीख को किया जाएगा।

6. सामान्य:

1. पुरस्कार के लिए पुस्तक के मूल्यांकन के बारे में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।
2. पुरस्कार वितरण के लिए नियत स्थान से बाहर से आए हुए पुरस्कार विजेताओं को आने-जाने के लिए रेल का द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित का किराया तथा भारत सरकार के नियमों के अनुसार दैनिक भत्ता दिया जाएगा। ठहरने की व्यवस्था स्वयं अपने खर्चे पर करनी होगी।

कृ.पृ.उ.

3. योजना की सूचना संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट www.indiaculture.nic.in पर भी उपलबध है।

7. <u>प्रविष्टि भेजने का पता:</u>

निदेशक (राजभाषा)
संस्कृति मंत्रालय
केंद्रीय सचिवालय ग्रंथागार, भूतल
शास्त्री भवन, नई दिल्ली- 110001
दूरभाष: 011-23383032

(वेद प्रकाश गौड़)
निदेशक (रा.भा.)

कृ.पृ.उ.

<u>प्रतिलिपि:</u>

1. राष्ट्रपति सचिवालय/उपराष्ट्रपति सचिवालय/ लोकसभा सचिवालय/राज्यसभा सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग - अनुरोध है कि इस योजना को अपने संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी में लाएं।
3. निदेशक, जनसंपर्क (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय), पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे इस योजना के संबंध में प्रेस तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया में समुचित सूचना प्रचालित करें।
4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग , बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
5. संसदीय राजभाषा समिति, 11, तीनमूर्ति मार्ग, नई दिल्ली।
6. संस्कृति मंत्रालय के एन आई सी को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त का.ज्ञा.को मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दें।
7. संस्कृति मंत्रालय के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय एवं स्वायत्त संगठन - अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को अपने क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में आने वाले सभी कार्यालयों के ध्यान में ला दें।

(वेद प्रकाश गौड़)
निदेशक (रा.भा.)

<u>अनुलग्नक</u>

प्रपत्र

संस्कृति विषयक मौलिक हिंदी पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना- वर्ष 2013 और 2014

(प्रत्येक कैलेंडर वर्ष अर्थात् 2013 और 2014 के लिए अलग-अलग प्रोफार्मा भरा जाए)

1. पुस्तक का नाम: ....
2. (1) लेखक/सह लेखक का नाम: ....
   (2) पूरा पता (पिन कोड सहित) ....
   ....
   ....
   (3) दूरभाष: ....फैक्स संख्या....................
   (4) मोबाइल फोन नं. ....
   (5) ई मेल ....
3. (1) प्रकाशक का नाम: ....
   (2) प्रकाशक का पूरा पता: ....
   ....
   ....
   (3) प्रकाशन का वर्ष: ....
4. क्या पुस्तक को पूर्व में किसी सरकारी संगठन से पुरस्कार प्राप्त हुआ है?
   यदि हां, तो कृपया पूरा ब्यौरा दें ....
   ....
5. मैं यह प्रमाणित करता हूं/करती हूं कि :
   (1) मैं .... पुत्र/पुत्री श्री...भारतीय नागरिक हूं।
   (2) मैं केंद्र सरकार अथवा उसके अधीन कार्यालय .... में कार्यरत हूं/ से सेवानिवृत्त हुआ हूं।
   (3) पुस्तक मेरे द्वारा मूल रूप से हिंदी में लिखी गई है।
   (4) मेरी पुस्तक को इस योजना के अंतर्गत प्रविष्ट करने से किसी अन्य व्यक्ति के कापीराइट का उल्लंघन नहीं होता है और पुस्तक में दिए गए आंकड़ों एवं तथ्यों के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूं।

मैं वचन देता/देती हूं कि मैं संस्कृति विषयक मौलिक हिंदी पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना विनियम के उपबंधों का पालन करूंगा/करूंगी।

स्थान ....

दिनांक.............................

लेखक/सहलेखक के हस्ताक्षर................................